

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा
प्रणाली बोर्ड, हरियाणा ।

नागरिक अधिकार पत्र

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रणाली बोर्ड, हरियाणा।

नागरिक अधिकार पत्र

हमारा—ध्येय

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रणाली बोर्ड, हरियाणा 'भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० के शैड्यूल २, ३ व ४ में उल्लेखित उपाधि के धारकों को मुख्यतः पंजीकरण प्रमाण—पत्र व इस बोर्ड से पंजीकृत चिकित्सकों को पहचान—पत्र जारी करने तथा बोर्ड से पंजीकृत चिकित्सकों की सूची तैयार करने का कार्य करता है।

सामान्य कार्य—विधियों के लिए मानक

सक्षम अधिकारी— रजिस्ट्रार

कार्य का विवरण	कार्य के लिए आवश्यक दस्तावेज कार्य—दिवसों में सामान्य समय कार्य—	काम में लगने वाला सामान्य समय दिवसों में
१	२	३

१. अस्थाई पंजीकरण (१). अस्थाई पंजीकरण शुल्क सभी औपचारिकताएं पूरी होने के १ दिन के अन्दर दस्ती।

(२). प्रार्थना पत्र कार्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन—पत्र पर।

(३). दशवी, १०२ए बी.ए.एम.एस. के तीनों खण्डों की तसदीक प्रतियां तथा दो तसदीक फोटोग्राफ।

१. नए पंजीकरण (१) पंजीकरण शुल्क, पहचान—पत्र सभी औपचारिकताएं पूरी होने के ७ कार्यदिवस के अन्दर शुल्क आदि।

(२) प्रार्थना—पत्र कार्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन—पत्र पर शपथ कमीशजर या प्रथम श्रेणी न्यायधीश से तसदीक करवाकर।

(३) दशवी के प्रमाण—पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से तसदीक प्रति १

जारी पृष्ठ.....२.....

१. २. ३. ४.

- (४) उपाधि के अन्तिम वर्ष के संक्षिप्त अंक तालिका की राजपत्रित अधिकारी से तसदीक प्रति ।
- (५) इन्टरनशिप प्रमाण—पत्र की राजपत्रित अधिकारी से तसदीक प्रति ।
- (६) एक टिकट आकार का फोटोग्राफ व दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी, विधायक या लोक सभा सदस्य से तसदीक शुदा ।
- (७) कालावधि प्रशिक्षण पूर्ण होने के प्रमाण पत्र की तसदीक प्रति तथा हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी अस्थाई पंजीकरणप्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

(८) हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, बैंक पास बुक मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसैन्स व पासपोर्ट मे से किसी एक की तसदीक प्रति ।

(९) अन्य प्रान्तों से प्राप्त उपाधि की वैधता की पुष्टि होने के बाद ब्यान हल्फियां भेजे कि उसका प्रमाण पत्र सही है व गलत पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेवार होगा ।

-
- २ प्रतिलिपी प्रमाण—पत्र (१) निर्धारित शुल्क व डाकखर्च सभी औपचारिकताएँ पूरी होने के तीन
- (२) प्रमाण—पत्र गुम होने, दिन के अन्दर १ जलजाने या नष्ट होने सम्बन्धी प्रथम श्रेणी न्यायधीश से शपथ—पत्र ।
- (३) प्रमाण—पत्र गुम होने की अवस्था मे प्राथमिक सूचना रिपोर्ट ; एफ०आई०आर०द्ध जो कि किसी नजदीकी थाना मे दर्ज कराई हो, की मूलप्रति ।
-

१. २.

३.

४.

३ पहचान—पत्र

१)निर्धारित पहचान—पत्र शुल्क सभी औपचारिकताएं
पुरी होने के तीन

२)बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित दिन के अन्दर ।

पहचान—पत्र फार्म किसी
राजपत्रित अधिकारी, विधायक
या लोक सभा सदस्य या
बोर्ड के सदस्य से तसदीक
शुदा ।

(३)तीन पासपोर्ट आकार के
फोटोग्राफ किसी राजपत्रित
अधिकारी, विधायक या लोक
सभा सदस्य या बोर्ड के
सदस्य से तसदीक शुदा ।

४ नवीनीकरण शुल्क

१)निर्धारित नवीनीकरण शुल्क
निर्धारित समय—अवधि के
भीतर ।

३ कार्यदिवस के
भीतर

(२)निर्धारित समय के बाद
निर्धारित सीमा—अवधि के
दौरान निर्धारित अतिरिक्त
शुल्क के साथ ।

नोट: कार्यालय के कार्य से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत/सुझाव सादे कागज पर
अध्यक्ष या रजिस्ट्रार को नियमानुसार की जा सकती है ।